छत्तीसगढ़ शासन

कार्यालय कार्यपालन अभियंता
लोक निर्माण विभाग, कोण्डागांव संभाग, कोण्डागांव

Email ID-ee.kondagaon@nic.in. & eepwdkondagaon@gmail.com Fax No.-07786243942. Phone No. - 07786242242

कंडिका क्र– 08

परियोजना पर विस्तृत टीप

वन भूमि संरक्षित वन कक्ष क्रमांक पी 795, पी 794, पी 777 एवं आर.एफ. 793 मे से 9.304 हेक्टेयर, वन भूमि लोक निर्माण विभाग (भ./स.) कोण्डागांव संभाग कोण्डागांव द्वारा कोण्डागांव बाईपास निर्माण कार्य हेतु प्रस्तावित है । चुंकि राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक–30 जो कि कोण्डागांव से होकर गुजरती है । इस मार्ग में भारी वाहनों का आवागमन निरंतर जारी रहता है, जो कि कोण्डागांव से होकर ही गुजरता है जिसके चलते शहर में आवागमन बाधित रहता है। अतः यातायात सुरक्षा एवं बाधारहित मार्ग स्वचालन हेतु बाईपास मार्ग निर्माण किये जाने की आवश्यकता है। कोण्डागांव बाईपास निर्माण कार्य स्वीकृत सड़क प्रशासकीय स्वीकृति की प्रतियां संलग्न है।

उत्तम कुमार गुप्ता
वनमण्डलाधिकारी
दक्षिण वन मण्डल कोण्डागांव
जिला कोण्डागांव

राजेन्द्र कुमार चौधरी
कार्यपालन अभियंता
लो0नि0वि0 कोण्डागांव संभाग,
कोण्डागांव

छत्तीसगढ़ शासन
लोक निर्माण विभाग,
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर-492002

क्रमांक एफ 17–476/2015/19/तक–2 रायपुर,दिनांक 30 /03/2016

प्रति,

प्रमुख अभियंता,
लोक निर्माण विभाग,
रायपुर (छ.ग.)

विषय :– वर्ष 2015–16 के बजट में शामिल जिला कोण्डागांव में कोण्डागांव बायपास मार्ग लंबाई 8.727 कि.मी.का निर्माण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति बाबत् (बजट मद कमांक 3107/वर्ष 15–16)

संदर्भ :– आपका ज्ञाप क्र.62129111/कार्य/सड़क/बायपास/15–16 रायपुर दिनांक 14.12.2015

–0–

राज्य शासन एतद् द्वारा विषयांकित कार्य के लिये रुपये 7008.51 लाख (रुपये सत्तर करोड़ आठ लाख इनकावन हजार मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति निम्न शर्तो के साथ प्रदान करता है:–

1/ उक्त कार्य की तकनीकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त करने के उपरांत ही निविदा आमंत्रित की जावें तथा निर्धारित औपचारिकतायें पूर्ण कर कार्य को प्रारंभ किया जावे ।

2/ पुल/पुलिया की डिजाईन/ड्राईंग सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित करा कर ही उनका कार्य प्रारंभ किया जावें ।

3/ कार्य का व्यय मांग संख्या/शीर्ष 42/5054(03)–(337)–0102–(3710) राज्यों के राजमार्ग #97 निर्माण कार्य के अंतर्गत विकलनीय होगा।

4/ उपलब्ध आबंटन की सीमा में ही व्यय सुनिश्चित किया जावे ।

5/ उक्त कार्य की निविदा की कार्यवाही प्रमुख अभियंता कार्यालय में गठित निविदा प्रकोष्ठ से कराया जाना सुनिश्चित करें ।

यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू.ओ.क्र.1548/सी.एन.1901033/बजट–2/वित्त/चार 2016, दिनांक 23/03/2016 द्वारा प्राप्त सहमति अनुसार जारी की जाती है ।

सहपत्र :– शून्य ।

कार्यालय प्रमुख अभियंता
क्रमांक 15834/WR
दिनांक 4/4/16

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
30/3/2016
(सी.तिर्की)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग,

पृ. क्रमांक एफ 17–476/2015/19/तक–2 रायपुर,दिनांक /03/2016

प्रतिलिपि :–

1/ निज सचिव, मंत्री,लो.नि.वि. छ.ग. रायपुर की ओर सूचनार्थ ।
2/ सचिव, छ.ग. शासन वित्त विभाग, मंत्रालय रायपुर ।
3/ मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, बस्तर परिक्षेत्र जगदलपुर ।
4/ अधीक्षण अभियंता, लो.नि.वि., बस्तर मण्डल बस्तर ।
5/ कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि., कोण्डागांव संभाग कोण्डागांव ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

सहपत्र :–स्वीकृत प्राक्कलन स.क्र.5 हेतु ।

अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग

23